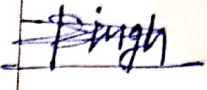


अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कुसमी

प्रकरण क्रमांक: 202504270300021/अ-62 (वृक्ष कटाई हेतु अनुमति)

आवेदक: पूजा सिंह पिता/पति/विभाग-राजेंद्र प्रसाद पता-नीलकंठपुर विरुद्ध अनावेदक : छ० ग० शासन पिता/पति/विभाग-- पता--

आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही	जहां आवश्यक हो पक्षी/वकीलो / प्रस्तुतकार लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर
28/04/2025	प्रकरण पेश आवेदक स्वतः उपस्थित. प्रकरण अंतिम आदेश हेतु .- अंतिम आदेश हेतु सुनवाई दिनांक: 28/04/2025 (Karun Kumar Dahariya) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग- कुसमी	

28/04/25 - प्रकरण पेश

- प्रकरण में अनुमति मांगे, फाईल
प्रकरण में हथकड़े लगाए गए हैं
वापस लेने के लिए, प्रकरण नवीकृत कर
हाजिर करना है।


अनुविभागीय अधिकारी(रा)
कुसमी
जिला-बलरामपुर-रा.गंज(छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कुसमी जिला- बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)
क्रमांक/3119 /वाचक/अ.वि.अ/2025 कुसमी, दिनांक 28/04/2025

प्ररूप- ग

[नियम 3(2) देखिए]

अनुमति

प्रति,

पूजा सिंह पिता/पति राजेन्द्र प्रसाद
ग्राम- नीलकंठपुर तहसील- कुसमी थाना- कुसमी
जिला- बलरामपुर- रामानुजगंज (छ0ग0)

विषय :- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति ।

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक 03/03/2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु ज्ञापन दिनांक- 03/03/2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक- 24/04/2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रमांक	प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति	संख्या	रोपित वृक्षों की प्रजाति	संख्या
1	लिप्टस	03	-	-
योग - 03				

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि खसरा नंबर 313 रकबा 0.65 हे0 ग्राम नीलकंठपुर प.ह.न 5 तहसील कुसमी स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति लिप्टस एवं संख्या 03 हैं, मैं से 03 वृक्ष को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र.9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का प्रावधान नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।



क्रमांक/3120 /वाचक/अ.वि.अ/2025

- प्रतिलिपि:-
1. कलेक्टर महोदय, बलरामपुर- रामानुजगंज को सादर सूचनार्थ।
 2. वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर- रामानुजगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
 3. तहसीलदार, तहसील कुसमी को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.गंज) कुसमी
जिला- बलरामपुर- रामानुजगंज (छ0ग0)
जिला बलरामपुर कुसमी, दिनांक 28/04/2025

अनुविभागीय अधिकारी (रा.गंज) कुसमी
जिला- बलरामपुर- रामानुजगंज (छ0ग0)
जिला बलरामपुर रा.गंज (छ.ग.)